झारखंड सरकार
वित्त विभाग ।

संकल्प

संकल्प सं0- वि0प्र0-5-1-52/08/...68/वि0 ..... राँची, दिनांक 21.8.2009

विषय :- झारखंड पेंशन नियमावली 2000 द्वारा शासित कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 01-12-2004 को अथवा उसके बाद विरमित होकर/तकनीकी रूप से त्याग पत्र दिये जाने पर उनकी विगत सेवा की गणना एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में ।

झारखंड सरकार, सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 दिनांक 01ली दिसम्बर,2004 से राज्य में लागू है । पूर्व में प्रचलित योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू होने से कुछ आधारभूत समस्यायें उत्पन्न हुई है । यथा पुरानी पेंशन योजना में कार्यरत रहने के बाद नई पेंशन योजना में पुनर्नियुक्ति होने पर पूर्व कार्यकाल के अवधि का समायोजन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य ठहराने पर सेवा निवृत्ति, मृत्यु/लापता होने या त्यागपत्र देने से उत्पन्न स्थिति पर देय लाभों आदि से संबंधित समस्यायें सरकार के अधीन विचाराधीन रहा है । इन विषयों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :-

1. ऐसे सरकारी कर्मी जो दिनांक 30-11-04 को अथवा इसके पूर्व झारखंड राज्य(अविभाजित बिहार अवधि सहित) अथवा इसके स्वायत निकायों में नियुक्त हुए थे तथा राज्य की पुरानी पेंशन योजना से शासित होते थे और उनकी सेवा पेंशन प्रदायी थी, तो ऐसे कर्मचारी दिनांक 01-12-2004 को या इसके बाद इस राज्य में नियुक्ति के बाद तकनीकी रूप से त्यागपत्र देकर अथवा विधिवत् रूप से विरमित होकर नियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो वे पुरानी पेंशन योजना से शासित होते रहेंगे ।

2. दिनांक 30-11-2004 को या इसके पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना अथवा केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियमावली,1972 या झारखंड/बिहार राज्य पेंशन नियमावली के अन्तर्गत आनेवाली पेंशन के अलावा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा शासित होते थे, उनकी दिनांक 01-12-2004 को या इसके बाद नई नियुक्ति होने पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथापि ऐसे कर्मचारी पूर्व के संगठन/विभाग के नियमानुसार उक्त कार्यरत अवधि के लिये पेंशन/सेवान्त लाभों के हकदार हो सकेंगे ।

3. केन्द्र सरकार के वैसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार की सेवा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वायत निकाय की सेवा में दिनांक 30-11-2004 को अथवा इसके पूर्व शामिल हो गये थे और जो केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे और उन्होंने झारखंड राज्य के अन्तर्गत नये पदभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 01-12-2004 को अथवा इसके बाद तकनीकी रूप से त्यागपत्र देकर अथवा विधिवत् रूप से विरमित होकर ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में वे केन्द्रीय सिविल(पेंशन) नियमावली,1972 में निहित नियमों के तर्ज पर केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत की गयी सेवा की अवधि के लिए अनुपातिक पेंशन संबंधी लाभ पाने के हकदार हो सकेंगे ।

4. अन्य राज्यों के वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से शासित होते थे वे यदि दिनांक 01-12-2004 या इसके बाद नियुक्ति के पश्चात् इस राज्य में योगदान करते हैं, जो उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लाभ अनुमान्य नहीं होगा अर्थात् वे नयी पेंशन के अन्तर्गत ही माने जाएगें